भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EP 019224

201900998002225

न्यास पत्र

कार्यालय का नाम : उप निबंधक -सदर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EP 019223

-: न्यास – विलेख :-

(अन्तर्गत धारा 5 पठित धारा 6 सपठितधारा 3 इन्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882)

यह कि– मैं सुक्खू राम मौर्या पुत्र श्री महादेव आयु 69 वर्ष निवासी–ग्राम–निखनापुर पोस्ट–एकौनी सुरियावा, जिला–सन्त रविदास नगर भदोही जो कि इस न्यास का न्यास कर्ता, कहा जायेगा/गया है।

जो कि इस प्रलेख द्वारा एक न्यास कायम कर रहा हूँ जिसका नाम

महादेव सोनकली स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट होगा

- यह कि न्यासकर्ता की इच्छा है कि अपने जीवन काल में उपरोक्त नामांकित ट्रस्ट स्थापित कर देवे।
- यह कि इस ट्रस्ट के संस्थापक/न्यासकर्ता के द्वारा गठन/अंकन रू0 10000/की राशि (चल सम्पति) से तैयार किया गया है।
- यह कि इस ट्रस्ट के संस्थापक द्वारा स्थापित/ट्रस्ट पूर्णतया चैरिटेबल हो तथा यह धन सम्पत्ति ट्रस्ट द्वारा संचालित जन–समुदाय के कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संस्कृति तथा कृषि–विकास, कृषक उत्थान, सामाजिक विकास, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षण–प्रशिक्षण कार्य–शालाओं विद्यालयों व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं आवासीय–विद्यालयों, अस्पतालों– डिस्पन्सरियों की स्थापना कृषक कल्याण,

सुक्खू राम मौर्य

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

1 MAY 2019

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EP 019222

विकास उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग की स्थापना/संचालन जन समुदाय के विकास व कल्याण एवं सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों के हितार्थ।

जनहित में कार्य करने एवं केवल समाजोत्थान हेतु खर्च किये जाने की इच्छा के साथ उनके बेहतर जीवन स्तर के लिये एवं सामाजिक आर्थिक नैतिक विकास कार्यो के करने हेतु समर्पित करते हुए इस ट्रस्ट को गठित किया गया है।.

- यह कि ट्रस्ट के संस्थापक मुख्य न्यासी द्वारा उक्त कार्पस धनराशि समय–समय पर आगे और अभिवृद्धि की जाने तथा दूसरी अन्य अस्थाई–स्थाई, सम्पदाओं यथा उपहार, दान, आवप्ति प्राप्ति, आवंटन आदि ट्रस्ट को समर्पित करने का संकल्प करते हैं, या करते रहेंगे।
- यह कि मैं संस्थापक/न्यासकर्ता द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को (समाज से) जो इस ट्रस्ट के ट्रस्टी सदस्य के रूप में नामित/नियुक्ति/मनोनयन जो कि नियमों–उपनियमों व उद्देश्यों के अनुरूप ट्रस्ट की उन समस्त सम्पत्तियों के संरक्षण एवं प्रबन्धन हेतु संरक्षक/मालिक/प्रबन्धक/सहयोगी होंगे जिनकी नामित नियुक्ति/मनोनयन इनके द्वारा किये गए कार्यो एवं कर्तव्यों के अनुरूप ट्रस्टी सदस्य यानी न्यास मण्डल–सदस्य माने जायेगें।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

1 MAY 2019

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EP 019221

➢ यह कि सभी निम्न न्यासी गण बालिग है और भारतीय संविदा अधिनियम के प्राविधान कें अन्तर्गत सौदा (कान्ट्रेक्ट/एग्रीमेन्ट) करने के अधिकारी हैं/अतैव इन्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 की धारा के प्राविधान के अनुसार निम्न सभी व्यक्ति इस न्यास के न्यासी होने हेतु पूर्णरूप से सक्षमत है अर्हता रखते है।

क्र. सं.	नाम/पिता–पति का नाम	उम्र	पता	व्यवसाय
1	सुक्खू राम मौर्या पुत्र श्री महादेव	69	ग्राम–भिखमापुर पोस्ट–एकौनी सुरियावा,जिला–सन्त रविदासनगर भदोही	बिजनेस
2	सुखराजी देवी पत्नी श्री सुक्खू राम मौर्या	64	ग्राम–भिखमापुर पोस्ट–एकौनी सुरियावा,जिला–सन्त रविदास नगर भदोही	बिजनेस
3	अनिल कुमार मौर्या पुत्र श्री सुक्खू राम मौर्या	35	ग्राम–भिखमापुर पोस्ट–एकौनी सुरियावा, जिला–सन्त रविदास नगर भदोही	बिज नेस

सुक्खू राम मौर्या

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

1 MAY 2019

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EP 019220

4	सोनम कुशवाहा पत्नी श्री अनिल कुमार मौर्या	28	एम आई जी0 70 गोविन्दपुर कालोनी प्रयागराज	बिजनेस
5	भारत भूषण पुत्र श्री अशोक कुमार मौर्या	27	एम आई जी0 70 गोविन्दपुर कालोनी प्रयागराज	बिजनेस
6	तरुण मौर्या पुत्र श्री अशोक कुमार मौर्या	22	एम आई जी0 70 गोविन्दपुर कालोनी प्रयागराज	विद्यार्थी
7	चन्द्र लेखा मौर्या पत्नी श्री अशोक कुमार मौर्या	46	एम आई जी0 70 गोविन्दपुर कालोनी प्रयागराज	बिजनेस

अब इस ट्रस्ट डीड के निम्नलिखित रूप में जाना जाएगा।

मेरे द्वारा स्थापित उक्त न्यास का <u>महादेव सोनकली स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट होगा</u>

- पंजीकृत कार्यालय ग्राम–भिखमापुर पोस्ट–एकौनी सुरियावा, जिला–सन्त रविदास नगर भदोही होगा।

सुख-पूरराम मौर्य

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 956669

- उक्त न्यास/ट्रस्ट के कार्यो को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा उसके उद्देश्यों के स्थापित/सुगम प्राप्ति के लिए कार्यालय की शाखाएं प्रदेश व देश के अन्य शहरों–कस्बों स्थानों पर स्थापित की जा सकेगी, जिसकों संस्थापक/मुख्य न्यासी/प्रवन्ध निदेशक व प्रवन्धक ट्रस्टी, निर्देशक तथा अध्यक्ष/न्यासी गणों की, संतुष्टि के वाद ही सम्भव होगा, और उनके कार्यालयों के पते पर उपरोक्त न्यास द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं/समितियों उपसमितियों का विभागीय पंजीकरण भी यथा स्थान आवश्यकतानुसार विभागों/कार्यालयों व निबन्धक कार्यालयों में कराया जा सकेगा/कराया जाएगा।
- मेरे द्वारा स्थापित न्यास का उद्देश्य जन कल्यार्थ, धर्मार्थ, चैरिटेवल होगा, ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर ट्रस्ट का पूर्ण स्वामित्व रहेगा जिसकी सामाजिक एवं पूण्यार्थ प्रयोजन हेतु होगी।
- यह कि मैं उपरोक्त न्यास का संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य न्यासी/ट्रस्टी रहूँगा तथा मैं न्यास/ट्रस्ट का अध्यक्ष भी कहा जाऊंगा। मेरे द्वारा मनोनीत न्यासी गण इस ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिये उपरोक्त सहयोगी/ट्रस्टी

5

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 956671

होंगे/रहेगे, जो न्यास के नियमों–उपनियमों पर सहमत होगे न्यास के नामित व्यक्ति के हित व उद्देश्य हेतु निस्वार्थ भाव से सहयोग करेंगे इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जाएगा तथा मुख्य न्यासी एवं न्यासियों को संयुक्त रूप को न्यास मण्डल, कहा जाएगा।

- मेरे–निधन के पश्चात् रिक्त पद पर (मुख्यन्यासी/अध्यक्ष) मेरे द्वारा चयनित व्यक्ति या मेरे द्वारा लिखित वसीयत के अनुसार नामित न्यासी ही होगा। यदि मेरी वसीयत या नामित व्यक्ति के चयन के पूर्व मृत्यू होती है तो मेरा ज्येष्ठ पुत्र मेरा वारिस होगा या उसके द्वारा नामित व्यक्ति ही मुख्य न्यासी बनेगा।
- यह कि इस ट्रस्ट के सभी न्यासी न्यास मण्डल द्वारा हर परिस्थिति में इसके उदेद्श्य के अनुसार जन हितार्थ (शैक्षिक, सांस्कृतिक, ग्रामीण शहरी, महिला कल्याण, आवास, पशुपालन, विकास–स्वास्थ्य, रोजगार आदि) कार्यो को संचालित/स्थापित करेगा, ट्रस्ट के आवश्यकतानुसार व उद्देश्यों के अनुसार जिससे समाज के हर वर्गो, जाति, धर्म को लाभ हो सके बढ़ाया जा सकेगा, सभी प्रकार के ट्रस्ट के सदस्य संस्थापक ट्रस्टी एवं सहयोगियों द्वारा दान, प्रदत कार्पस राशि प्रदान अनुदान दान एवं सहयोग से प्राप्त होगी।
- ट्रस्ट के (ट्रस्ट मण्डल) कुल सदस्यों की संख्या संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य न्यासी को मिलाकर 2 से कम एवं 15 से अधिक नहीं होगी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के द्वारा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 956672

अन्य सदस्यो जो कि स्वयं अपना योगदान/सहयोग प्रदान करेगा या इच्छुक होगा को आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार मनोनयन/चयन प्रबन्धक ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्टी/न्यास मण्डल के अनुमोदन के बाद किया जा सकेगा।

उपरोक्त वर्णित दिन गुरुवार/तारीख 02/माह मई/वर्ष 2019 के अनुरूप इस ट्रस्ट का प्रविधान किया गया।

न्यास (ट्रस्ट) के उद्देश्य –

1 –ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य जन –समुदाय को धर्म के प्रति जागरूकता एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समग्र स्वास्थ्य जीविकोपार्जन में सहयोग के माध्यम से सशक्ति बनाना। यह कार्य भारत वर्ष के सभी क्षेत्रों में सरकारी एवं गैर सरकारी तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से संपादित किया जायेगा ।

2 न्यास द्वारा देश के विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित राज्यों के जनपदों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी से लेकर बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, लॉ कालेज, इंजीनीयरिंग कालेज, टेक्निकल कालेज, एग्रीकल्चर कालेज, पैरा मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज, आवासीय कालेज, होटल

9

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत INDIA सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 956670

मैनेजमेन्ट, खाद्य प्रसंस्करण, एम0बी0बी0एस0, बी0एड0, बी0पी0एड0, एम0एड0, एम0पी0एड0, बी0टी0सी0, आयुर्वेदिक व्यावसायिक शिक्षा, एन0टी0टी0, पॉलीटेक्निक, तथा आने वाले अन्य नये विषयों से सम्बन्धित कालेज खोलकर संचालन करना।

3 न्यास द्वारा निर्वल, निर्धन आय वर्ग के परिवार के बच्चों को मुक्त प्रशिक्षण सामाग्री वितरण/उपलब्ध कराना प्रोत्साहन राशि प्रदान करना तथा विद्यालय/पुस्तकालय/वाचनालय का संचालन व खेलकूद सांस्कृतिक ज्ञानवर्धन हितार्थ कार्यक्रमों का आयोजन करना। साक्षरता अभियान को सफल बनाने हेतु अनौपरचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, व्यवसायपरक शिक्षा की व्यवस्था करके शिक्षित वातावरण बनाने का प्रयास कराना एवं न्यास द्वारा जन हितार्थ निःशुल्क छात्रावास, आदि की स्थापना/संचालन करना/ कराना सभी समुदाय वर्गो में वोकेशनल प्रोग्राम एवं सक्षम बढ़ाने वाले कार्यक्रम आयोजित कराना।

4 समाज के अनुसूचित जातियों, जनजातियों/अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों/दलितों आदि के उत्थान शैक्षिक वातारण के लिए विविध कार्यक्रमों का संचालन कराना शिक्षा के प्रचार–प्रसार, प्रबन्धक व उन्नयन हेतु सम्बन्धित विभागों/तकनीकी बोर्ड एवं शिक्षा विभाग की अनुमति के पश्चात् शिक्षण हेतु प्रोत्साहन करना कराना एवं न्यास द्वारा ग्रामीण/शहरी क्षेत्र की महिलाओं और

सुख-रघुराम मौर्य

8

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 74AD 720966

प्रत्येक शिक्षार्थियों में एवं शिक्षा केन्द्रों के द्वारा मूल–शिक्षा एवं मैत्री भावना के विकास के लिए कार्य करना विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को उनके कैरियर विकास के प्रयास में उनको सहयोग प्रदान करना, गरीब व पात्र छात्रों और उस श्रेणी में आने वाले लोगों हेतु कोचिंग एवं निःशुल्क बोर्डिंग व लाजिंग की व्यवस्था करना।

5 न्यास द्वारा असहाय/निर्बल/निर्धन/विधवा एवं समाज सोशित परिवार को मुफ्त चिकित्सकीय सेवा, सलाह एवं दवा आदि की सुविधा प्रदान करना, एवं यथोचित मार्ग देना, तथा स्वस्थ समाज के विकास के लिए समय–समय पर जागरूकता शिविर/गोष्ठियों आदि का आयोजन/संचालन कर उन्हें समाज में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित करना/मार्ग दर्शन करना तथा ग्रामीण, शहरी गॉव, मुहल्लों, वार्डों में संस्था के स्वयं सेवकों/सदस्यों/कर्मचारियों के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण/औषधि वितरण/प्रशिक्षण आदि का संचालन कर स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु प्रसास करना/कराना एवं न सामान्य को बेहतर स्वास्थ्य हेतु समय–समय पर टीकाकरण, प्रतिरक्षण शिविर, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, पल्स पोलियों शिविर को निःशुल्क आयोजित करवाना।

6 गरीब/मध्यवर्गीय एवं खेतिहार किसानों को समय–समय पर प्रशासन द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं एवं चालायी जा रही योजनाओ के विषय में अवगत कराना व

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 720967

उचित मार्ग दर्शन करना/कराना एवं कृषि सम्बन्धी आधुनिक यंत्रों की औद्योगिक इकाईयो की स्थापना करके लघु कृषकों तक उसकी सुविधा उचित मार्ग दर्शन के साथ प्रदान करना एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, कामगारों बटाई किसान को कृषि यंत्र बीज खाद्य एवं अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं को उपलब्ध कराना एवं असक्षम व गरीब किसानों/सदस्यों से उनके सुविधानुसार भुगतान प्राप्त करना एवं ऊसर/बंजर भूमि के विकास हेतु कृषकों को कृषि पर आधारित उद्योगों, बीज विकास यन्त्रो रासायनिक, जैविक उर्वरकों, जैव कीट नाशकों जड़ी बूटियों की उपयोगिता तथा उसको उत्पन्न करने की विधियों के बारे में जानकारी देकर प्रशिक्षित कराना व हर्बल/आयुर्वेदिक औषधियों से लोगों का निःशुल्क उपचार करना/कराना प्रेरित करना, तथा हर्बल औषधियो की कृषि हेतु प्रेरित करना।

न्यास का वित्तीय वर्ष –

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 74AD 720968

न्यास का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा, बजट हर वर्ष मार्च के प्रथम सप्ताह से पहले प्रस्तुत किया जायेगा।

अन्य :–

न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था

न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी :–

1. आयोजनों के लिए न्यास के सम्मानित सदस्यों से दान/सहयोग राशि लेना और उसका ब्यौरा रखना। न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाईयों की सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओ/समितियों एवं उपसमितियों का गठन/स्थापना करना तथा प्रत्येक समिति में

13

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 74AD 720969

आवश्यकतानुसार सदस्यों का चयन करना एवं कार्य पूर्ति होने के पश्चात समितियों को भंग करने का अधिकार मुख्य न्यासी का रहेगा।

2. न्यास में सभी फैसले सर्वानुमति अथवा बहुमत के आधार पर लिए जायेंगें। न्यास की बैठक हर वर्ष एक बार होगी।

3. न्यास की सम्पत्तियों की देखभाल करना तथा न्यास की सम्पत्ति को बढ़ाने के सतत् प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना।

4. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था न्यास में निहित करना।

5. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, आश्रमों, विद्यालयों, प्रशिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, कार्यक्रमों एंव अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्ति कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना और उनके हित में लागू करना।

6. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं/न्यास के हित में व्यक्तियों, से उपहार व अन्य रूप से धन व

12

सम्पत्तियों को प्राप्त करना विभिन्न माध्यमों से न्यास के लिए सम्पत्ति की व्यवस्था करना और आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैंक से लोन लेना व ट्रस्ट की सम्पत्ति को बन्धक रखने व क्रय विक्रय करने का अधिकार न्यास मण्डल के पास रहेगा जो सर्वसम्मति से अथवा बहुमत के आधार पर किया जायेगा। न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास मण्डल द्वारा संकलित समस्त कार्यो को करना।

7. न्यास के अधीन गठित होने वाली संस्थाओं, समितियों के अधिकारीगण मुख्य न्यासी/न्यास मंडल के अधीन होगें और सभी फैसले सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर किये जायेंगे एवं न्यास मंडल के सदस्यों को कार्यानुसार मानदेय दिया जायेगा।

ट्रस्ट प्रबंधन बोर्ड (गठन):–

यह कि संस्थापक न्यासी/मुख्यन्यासी/अध्यक्ष को ही न्यासिओं (न्यासमंडल/प्रबंधन बोर्ड) से ही न्यासी को चुनने/मनोनयन का अधिकार होगा ट्रस्ट के दैनिक प्रशासन एवं कार्यो के देख–रेख संचालन कार्य व्यवस्था हेतु यदि आवश्यक होगा।

ट्रस्टी के दैनिक प्रशासन की देखभाल ट्रस्टीयों द्वारा किया जायेगा जो मुख्य ट्रस्टी के नियंत्रण दिशा–निर्देशन एवं देख–रेख में कार्य करेगा।

रिक्तियॉ :–

ट्रस्ट प्रबन्धन बोर्ड के किसी रिक्त स्थान को ट्रस्टीगण (न्यास मंडल) द्वारा मुख्य ट्रस्टी से अनुमोदन के पश्चात भरा जायेगा और वह व्यक्ति ट्रस्ट प्रबन्धन बोर्ड की निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त होगा।

ट्रस्ट की बैठक एवं बैठक वृत्त :–

आम तौर पर प्रत्येक तीन माह में ट्रस्टीगण (न्यास मण्डल) की बैठक होगी। अथवा तब भी जब यह आवश्यक हो, कि कार्य को संतोष जनक ढंग से संपादित करने के लिए बैठक आवश्यक हो।

न्यास का कोष :–

1. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार की सदस्यता शुल्क अन्य माध्यम व नेटवर्क आदि के माध्यम से प्राप्त योगदान दान , अनुदान चन्दा एवं सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठानों से प्राप्त राशियों एवं ली गयी ऋण राशियों निहित होगी।
2. न्याय के कोष की व्यवस्था के लिए उसका खाता किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक में खोला जायेगा जिसका संचालन संयुक्त रूप से दो ट्रस्टी करेंगे।

ट्रस्ट की सम्पत्तियों के लिए आवेदन :–

ट्रस्ट की सम्पत्तियों और धन का उपयोग ट्रस्ट के प्रशासन और उससे संबंधित व्यवसाय एवं अन्य गतिविधियों के उपयोग में लाया जायेगा।

अभिलेख :–

ट्रस्टीगण ट्रस्ट की आय–व्यय, भुगतान, लेन–देन आदि का समुचित रिकार्ड बनाये रखेगें। ट्रस्ट की लेखा पुस्तिका को प्रति वित्तीय वर्ष के अंत में योग्य ऑडीटर या चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा ऑडिट कराया जायेगा।

कार्य प्रणाली की अनियमितता :–

किसी भी ट्रस्टी सदस्य को अतिरिक्त नामाकंन अथवा किसी प्रकार की अनियमितता की छूट नहीं होगी।

16

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AD 720970

गवाह कृपाशंकर कुशवाहा पुत्र रामसुचित मौर्य
ग्राम विहरपुर पो० माधो स्वामी धाम
जि० भदोही मो० 8858907474

कृपाशंकर कुशवाहा

मनोज कुमार पुत्र ईश्वरी प्रसाद
ग्रा० मंगलपुर पो० जंगीगंज जि० भदोही
9389396496 मनोज कुमार

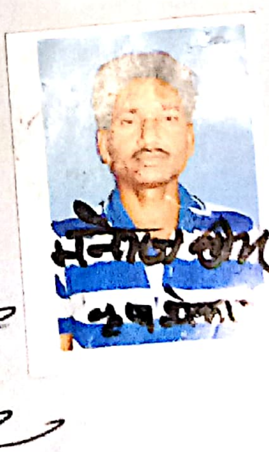

[illegible]

दस्तावेज

गुरु प्रसाद तिवारी

आवेदन सं०: 201900998002225

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 39 के पृष्ठ 195 से 226 तक क्रमांक 21 पर दिनाँक 10/05/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

गीता श्रीवास्तव, प्रभारी
उप निबंधक : सदर
संत रविदास नगर (भदोही)
10/05/2019

सत्यमेव जयते
भदोही